49

आयोजनेत्तर

संख्या : 413 /I/2015-05/15/2013

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
इरला चैक अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

देहरादून : दिनांक : 05 मई ~~अप्रैल~~, 2015

ऊर्जा अनुभाग–01

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2015–16 के आयोजनेत्तर पक्ष के वचनबद्ध/अवनबद्ध मदों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सं0–36/II(3)/05–लेखा/11/15 दिनांक 06–04–2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में ऊर्जा सैल में तैनात कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों तथा कार्यालय संचालन हेतु वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित निर्गत वित्तीय स्वीकृति रू 8,00,000.00 (रूपये आठ लाख मात्र) की धनराशि **संलग्नक–1** में वर्णित अनुदान/लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों तथा मितव्ययता सम्बन्धी शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये आदेश एवं अन्य तद्विषयक आदेशों/नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किय जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाय। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होंगे।

3. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस हेतु यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रारूप पत्रों पर वित्त विभाग, महालेखागार एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार मासिक मासिक आधार पर किश्तों में किया जायेगा।

6. कम्प्यूटर आदि के क्रय से पूर्व आई0टी0 विभाग की संस्तुति प्राप्त की जाय अथवा उनके दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के प्रस्तर–03 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

8. निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग सभी वित्तीय प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यकता हो वहां सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय तथा स्वीकृति से अनाधिक व्यय कदापि न किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आयोजनेत्तर पक्ष के अनुदान संख्या–21 लेखाशीर्षक "2801–बिजली–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–03–ऊर्जा विकास निधि का प्रबन्धन–00 के अन्तर्गत संलग्नक–1 में अंकित वचनबद्धों/अवचनबद्धों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–46/XXVII(2)/2015 दिनांक 23 अप्रैल, 2015 में दिये गये प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या– 413 /I/2015-05/15/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रभारी, ऊर्जा सैल।
6. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरीश सागर)
अनु सचिव